

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग-2
संख्या-2/2016/जी-2-99/दस-2016-59/81
लखनऊ : दिनांक : 29 जून, 2016

विजप्ति
विविध

जनरल प्राविडेन्ट फण्ड (उत्तर प्रदेश), रूल्स 1985 के नियम 11(1), कन्ट्रीब्यूट्री प्राविडेन्ट फण्ड (उत्तर प्रदेश) रूल्स के नियम 11(1) तथा उत्तर प्रदेश कन्ट्रीब्यूट्री प्राविडेन्ट फण्ड पेंशन इन्शायोरेन्स रूल्स, 1948 के नियम-9 के प्राविधानों के अनुसार राज्यपाल महोदय घोषित करते हैं कि जनरल प्राविडेन्ट फण्ड (उत्तर प्रदेश), कन्ट्रीब्यूट्री प्राविडेन्ट फण्ड (उत्तर प्रदेश) तथा उत्तर प्रदेश कन्ट्रीब्यूट्री प्राविडेन्ट पेंशन इन्शायोरेन्स फण्ड में अभिदाताओं (सबसक्राइबर्स) द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-2017 में जमा की गयी तथा उनके नाम अवशेष पर ब्याज की दर, सभी खातों में जमा कुल राशि पर दिनांक 01-04-2016 से दिनांक 30 जून, 2016 तक 08.1 प्रतिशत (आठ दशमलव एक) प्रतिशत मान्य होगी।

उ० प्र० पा० से० इ० ट्रस्ट
शक्ति भवन, लखनऊ।

डॉ००३०

आज्ञा से,
राहुल भट्टाचार्य
प्रमुख सचिव

संख्या- 2/2016/जी-2-99(1)/दस-2016-59/81, तददिनांक

1. उपसंहिता/उपसंहिता

प्रतिलिपि अंग्रेजी अनुवाद सहित निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

2. लेखन सामग्री

को इस अन्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे कृपया इस विजप्ति को सरकारी गजट के अगले अंक में

3. स० सं. अधिकारी श्री

प्रकाशित कर दें।


4. कार्यपालकी श्री

5. लेखन सामग्री

6. रा० रोड्यार

E-Mail to comban@2005

आज्ञा से,
रमेश कुमार त्रिपाठी
संयुक्त सचिव



संख्या- 2/2016/जी-2-99(2)/दस-2016-59/81, तददिनांक

स००३० ल००३०

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, लेखा प्रथम एवं द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 3- सचिवालय के समस्त अनुभाग।
- 4- निदेशक, वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण संस्थान, 22/3, इन्द्रा नगर, लखनऊ।
- 5- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
रमेश कुमार त्रिपाठी
संयुक्त सचिव